Mail id: dcfwljaipur@gmail.com Ph: 0141-2303068

Azadi Ka Amrit Mahotsav

कार्यालय उप वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर

कोलडिपो परिसर, पानीपेच झोटवाडा रोड, जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA / उवसवजी / 2022–23 / 4862 दिनांक :– 29/09/2022

निमित:–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
बस्सी, जयपुर

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के अन्तर्गत वन भुमि प्रत्यावर्तन के प्रकरण Upgradation of Road from Bhanpura Kalan to Gol Via Nagal Tulsidas, Toda Meena, Tala, Jaichandpura , Gathwari, Bobari , Under PMGSY-III, District -Jaipur (Rajasthan) Proposal no FP/RJ/ROAD/149378/2021 के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 1023 दिनांक 19.09.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है की उक्त विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा जारी EDS दिनांक 28.06.2022 के क्रम में आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया। पार्ट–1 में अवलोकन उपरान्त प्रकरण में पुनः निम्न कमियां पाई गई। अतः पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करें। ताकि तदानुसार पार्ट–2 की पूर्ति की जा सके।

1. प्रकरण में प्रस्तुत Form A में Part 1 के point no B के B-1, list of proposals submitted in Past, information में सूचना में आप द्वारा अवगत कराया है कि यूजर एजेन्सी द्वारा पूर्व में कोई वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव प्रस्तुत नही किये गये है। जबकि सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड बस्सी द्वारा जमवारामगढ अभयारण्य क्षेत्र में सडक निर्माण से संबंधित कार्य पूर्व में भी करवाये गये है। अतः पुनः अवलोकन कर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
2. Point no D के (a), में "Widening of road" के स्थान "Upgradation of road" परिवेश पोर्टल पर दर्शाया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें की यदि सडक पूर्व में निर्मित थी किन्तु वन भूमि प्रत्यावर्तन नही हुआ था तो उक्त सडक पूर्व में निर्मित थी किन्तु वन भूमि प्रत्यावर्तन नही हुआ था तो उक्त सडक निर्माण किन नियमों के तहत तथा किस वर्ष वन भूमि पर कराया गया है।
3. Point L में 4(c), 5 and 6, KML and Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS of total station, प्रकरण में वन भूमि प्रत्यावर्तन के बदले जो उपलब्ध कराई जा रही गैर वन भूमि की प्रस्तुत KML में गैर वन भूमि का क्षेत्र वनभूमि पर Overlapping हो रहा है। अतः उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वन भूमि का मौका निरीक्षण कर संशोधित KML प्रस्तुत करें।

इस कार्यालय द्वारा आपको स्पष्ट रूप से तथा व्यक्तिशः समझाइश के उपरान्त भी हर बार प्रकरण में कमियां छोडी जा रही है, जिस कारण प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है जिसे उच्च कार्यालय एवं राज्य सरकार द्वारा गंभीरता पूर्वक लिया जा रहा है। अतः लेख है कि प्रकरण में समस्त कमियों की पूर्ति कर वांछित दस्तावेज एवं सूचनाएं परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध करावें।

भवदीय

(सागर पवार, IFS)
उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

क्रमांक : एफ ( ) FCA / उवसवजी / 2022–23 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः– अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
वन्यजीव जयपुर

D:\Meenakshi_documents\letter_work\FCA.docx